| क्रम | हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **राजस्व अपील संख्या 01/2020** अनवान रामचन्द बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत शिवकर एवं अन्य | |

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय गालाबेरी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक **14.12.2021** को ग्राम पंचायत मुख्यालय, राजीव गांधी सेवा केन्द्र गालाबेरी पर पत्रावली पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

**14.12.2021**

पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र गालाबेरी पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुउपस्थित। उत्तरदाता अनुउपस्थित। अपीलार्थी का कथन है, कि अपीलांट के पुश्तेनी खेत खसरा नंबर 577 रकबा 0.04 बीघा व खसरा नंबर 849/578 रकबा 87.16 बीघा कुल रकबा 88.00 बीघा ग्राम सुखसागर (शिवकर) तहसील एवं जिला बाडमेर में आये हुवे है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 3 सगे भाई है जिसका वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:–

सुखाराम

रामचन्द     नखताराम     रेखाराम

सुखाराम दिनांक 26.04.1989 को फौत हो गये थे उनके तीन पुत्र वैध वारिश थे अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नखताराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेखाराम थे। फौतगी का नामान्तरकरण पारित करते समय ग्राम पंचायत शिवकर ने मात्र रेस्पोडेन्टगण संख्या 02 व 03 को उक्त खसरा नंबर में नामान्तरकरण पारित कर दिया तथा अपीलाण्ट का नाम म्यूटेशन में पारित (दर्ज) नही किया। इस कारण पंचायत के आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट अपील पेश कर रहा है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर खेत खसरा नंबर 577, 879/578 रकबा क्रमश 0.04 बीघा, 87.16 बीघा ग्राम सुखसागर तहसील बाड़मेर में रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 व 3 के साथ समान रूप से दर्ज किया जावे तथा पूर्व में पारित नामान्तरकरण संख्या 462 दिनांक 26.04.1989 को निरस्त करते हुवे सही नामान्तरकरण पारित कर अपीलाण्ड का नाम जोड़ा जावें।

अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा पूर्व में ही ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलाण्ट का नाम उसके साथ सहखातेदार के रूप मे दर्ज करने हेतु अपनी सहमती दी गई है। उत्तरदाता संख्या 03 अनुउपस्थित रहे।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। मजमेआम दिनांक **14.12.2021** मे मौजीज लोगो द्वारा बताया गया कि मृतक खातेदार सुखराम पुत्र सोनाराम के तीन जायंदा पुत्र है रामचन्द्र, नखताराम व रेखाराम परन्तु दोनो पुत्रों नखताराम व रेखाराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ है। मृतक खातेदार सुखराम पुत्र सोनाराम के रामचन्द्र जायंदा पुत्र होने से उसका नाम सुखराम की सम्पति मे जोड़ने की मजमेआम द्वारा सहमती जाहिर की गई।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, शिवकर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 462 पर पारित आदेश दिनांक 26.04.1989 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर मौजा सुखसागर तहसील बाड़मेर में खसरा नंबर 577, 879/578 रकबा क्रमश 0.04 बीघा, 87.16 बीघा में अंकित मृतक खातेदार सुखराम पुत्र सोनाराम जाति माली के वारिशान के साथ मे अपीलान्ट रामचन्द्र (सुखराम का पुत्र), का नाम सहखातेदार के रूप मे अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे। आदेश मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर